

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० पं०सा०
 पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिराके अनुसार ग्राम श्रीखण्ड की खाता जमाबंदी संवत् 2075-2078
 खाता सं. 29, 30, 160 में जमीन का नाम लालाराम पु० इसर दर्ज है जबकि जमीन के
 उर्द व जमाबंदी खाता सं. 193 में नाम लालाराम पु० इशरराम दर्ज है। अतः जमीन
 का नाम दुरुस्त हेतु उचित आदेशार्थ सेता में प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

12/11/2021
 स.म. पं०सा० 12/11/21

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / की जाती है।

उक्त किमी जमीन अर्जित है।

12/11/2021

1309
 2021

प्रशासन गौदों के सभ अगियान 2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुंशुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :- 12-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
 उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	श्रीखण्ड	2075 - 2078	29, 30, 160	लालाराम पु० इसर	लालाराम पु० इशरराम

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 12-11-2021

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1058-59
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

